रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/97

REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप खंड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 672] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 5, 1997/अग्रहायण 14, 1919

No. 672] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 5, 1997/AGARAHAYANA 14, 1919

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1997

का.आ. 824 (अ).—संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण में, राष्ट्रपति एतद्द्वारा निदेश देते हैं कि प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक (जिसे प्रशासक, उप राज्यपाल या मुख्य आयुक्त कहा जाता है) राष्ट्रपति के नियंत्रण के अध्यधीन और अगले आदेश होने तक, विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, संरक्षण अधिकार और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) के अन्तर्गत राज्य सरकार की शक्तियों का उपभोग करेगा तथा उन सभी कार्यों को सम्पन्न करेगा जो राज्य सरकार द्वारा किए जाते हैं ।

[फा.सं.-यू-11030/3/96-यू.टी.एल.]

पी.के. जलाली, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th December, 1997

S.O. 824 (E).—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the Administrator of every Union territory (whether known as the Administrator, the Lieutenant Governor or the Chief Commissioner) shall, subject to the control of the President and until further orders, also exercise the powers and discharge the functions of State Government under the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (1 of 1996).

[File No. U-11030/3/96-UTL]

P. K. JALALI, Jt. Secy.